

Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 6-2019/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, JANUARY 9, 2019 (PAUSA 19, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 जनवरी, 2019

संख्या सी.सी.पी. (एन.सी.आर)/जे.जे.आर./सी.ए./2019/71.— चूंकि, सरकार की राय में, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट तथा उससे संलग्न योजना में दर्शाए गए क्षेत्र निर्माण क्रियाकलापों, औद्योगिक, वाणिज्यिक, संस्थागत, आवासीय सम्पदाओं/क्रियाकलापों तथा उपरोक्त के सहायक उपयोगों हेतु संभाव्य है;

इसलिए, अब, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 4 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियंत्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात्:—

अनुसूची

गांव लुहारी तथा पटौदा, जिला झज्जर में नियंत्रित क्षेत्र की सीमाओं की अनुसूची को ड्राईंग संख्या डीoटीoपीo (जे.एच.) 587 / 2018, दिनांक 20 सितम्बर, 2018 के साथ पढा जाए।

- उत्तरः बिन्दु 'ए', से प्रारम्भ करते हुए, जो अधिसूचना संख्या सी.सी.पी.(एन.सी.आर.) / जे.एच. / सी.ए. / 2013 / 2588, दिनांक 07 नवम्बर, 2013 द्वारा अधिसूचित विद्यमान नियंत्रित क्षेत्र की सीमा तथा गांव पटौदा (हदबस्त संख्या 249) की उत्तरी राजस्व सीमा का प्रतिच्छेद बिंदु है, से दक्षिणावर्त्त दिशा में बिंदु 'बी' तक जोकि गांव पटौदा (हदबस्त संख्या 249) तथा गांव लुहारी (हदबस्त संख्या 250) की राजस्व सीमाओं तथा जिला गुरूग्राम की सीमा का त्रिमिलन बिंदु है।
- पूर्व: तत्पश्चात् बिंदु 'बी' से दक्षिणावर्त्त दिशा में गांव लुहारी (हदबस्त संख्या 250) की राजस्व सीमा के साथ—साथ चलते हुए बिंदु 'सी' तक, जोकि गांव पटौदा (हदबस्त संख्या 249) तथा गांव लुहारी (हदबस्त संख्या 250) की राजस्व सीमाओं तथा जिला गुरूग्राम की सीमा का त्रिमिलन बिंदु है।
- दक्षिणः तत्पश्चात् बिंदु 'सी' से पश्चिम की तरफ जिला गुरूग्राम तथा गांव पटौदा (हदबस्त संख्या 249) और जिला रिवाड़ी तथा गांव पटौदा (हदबस्त संख्या 249) की संयुक्त सीमा के साथ—साथ चलते हुए बिंदु 'डी' तक, जहाँ यह अधिसूचना संख्या सी.सी.पी. (एन.सी.आर.)/जे.एच./सी.ए./2013/2588, दिनांक 07 नवम्बर, 2013 द्वारा अधिसूचित विद्यमान नियंत्रित क्षेत्र की सीमा से मिलता है।
- पश्चिमः तत्पश्चात् बिंदु 'डी' से उत्तर की तरफ अधिसूचना संख्या सी.सी.पी.(एन.सी.आर.) / जे.एच. / सी.ए. / 2013 / 2588, दिनांक 07 नवम्बर, 2013 द्वारा अधिसूचित विद्यमान नियंत्रित क्षेत्र की सीमा के साथ—साथ बिंदु 'ए' अर्थात् प्रारंभ के बिंदु तक।

अपूर्व कुमार सिंह, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 9th January, 2019

No. CCP(NCR)/JJR/CA/2019/ 71.— Whereas, in the opinion of the Government, the area specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto, has the potential for building activities, industrial, commercial, industrial, residential estates/ activities and uses subservient to the above;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby declares the said area to be a controlled area for the purposes of the said Act, namely:-

SCHEDULE

Schedule of boundaries of controlled area in village Luhari and Patauda, District Jhajjar to be read with Drawing No. D.T.P. (JH)587/2018, dated the 20th September, 2018.

- North: Starting from point 'A', which is the intersection point on boundary of existing controlled area notified *vide* Notification No. CCP(NCR)/JH/CA/2013/2588, dated the 7th November, 2013 and northern revenue boundary of village Patauda (Hadbast No. 249) in clock-wise direction up to point 'B' which is the tri-junction of revenue boundaries of village Patauda (Hadbast No. 249), village Luhari (Hadbast No. 250) and boundary of District Gurugram.
- East: Thence moving from point 'B' in clock-wise direction along the revenue boundary of village Luhari (Hadbast No. 250) up to point 'C', which is the tri-junction of revenue boundaries of village Patauda (Hadbast No. 249), village Luhari (Hadbast No. 250) and boundary of District Gurugram.
- **South:** Thence moving from point 'C' towards west along the common boundary of District Gurugram and village Patauda (Hadbast No. 249) and that of District Rewari and village Patauda (Hadbast No. 249) up to point 'D', where it meets the boundary of existing controlled area notified *vide* Notification No. CCP(NCR)/JH/CA/2013/2588, dated the 7th November, 2013.
- **West:** Thence moving from point 'D' towards north along the boundary of existing controlled area notified *vide* Notification No. CCP(NCR)/JH/CA/2013/2588, dated the 7th November, 2013 upto point 'A' *i.e.* the point of start.

A. K. SINGH,
Principal Secretary to Government Haryana,
Town and Country Planning Department.

8511—C.S.—H.G.P., Pkl.